

**कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी जनपद कुशीनगर**

**विज्ञप्ति**

संख्या 2834/व्यवस्थापन/ई-लाटरी/कुशीनगर/2020-21/दिनांक:- 01-03-2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त उ0प्र0 प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 29194-30168/दस-लाइसेंस-367/आबकारी नीति/2020-21 दिनांक: प्रयागराज फरवरी 14, 2020 के अन्तर्गत नवीनीकरण के उपरान्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की अवशेष आबकारी दुकानों का वर्ष 2020-21 हेतु ई-लाटरी प्रणाली के अन्तर्गत ऑन लाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त कर व्यवस्थापन कराया जाना है। दुकानों का विवरण निम्नवत है:-

**देशी शराब दुकान:-**

क्रमांक	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2020-21 का निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस (रु0 में)	वर्ष 2020-21 का निर्धारित एम0जी0क्यू0( 36 प्रतिशत वी0 वी0 में)	प्रोसेसिंग फीस (रु0में)	हैसियत (रु0में)	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि(रु0में)	धरोहर धनराशि (रु0में)
01	(4995)-कठकुइया	ग्रामीण	7905348	609816	20000	24287294	13781842	790535
02	(7715)-नौरंगिया बरगहा मार्ग	ग्रामीण	1679832	388500	20000	14913472	8780100	167983
03	(8204)-चिरगोडा	ग्रामीण	2405304	115812	20000	4763136	2617351	240530
04	(8351)-कुबेरस्थान	ग्रामीण	1958616	157752	20000	6268428	3565195	195862
05	(9079)-बांसी	ग्रामीण	4092660	252420	20000	10189930	5704692	409266
06	(10163)-बनकटा न० 1	ग्रामीण	3080880	316248	20000	12425488	7147205	308088
07	(10197)-बडहरा चौराहा	ग्रामीण	3674484	359952	20000	14170606	8134915	367448
08	(10375)-नरकटिया बाजार	ग्रामीण	4290264	245796	20000	9973360	5554990	429026
09	(10401)-नरसर चौराहा	ग्रामीण	5087808	471984	20000	18626032	10666838	508781
10	(15097)-भिरवा बाजार	ग्रामीण	618948	93144	20000	3611582	2105054	61895
11	(15896)-रगडगंज न०२	ग्रामीण	1966932	108576	20000	4417518	2453818	196693
12	(16082)-नरहवा	ग्रामीण	2693592	479208	20000	18499100	10830101	269359

**विदेशी शराब दुकान:-**

क्रमांक	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2020-21 का निर्धारित लाइसेंस फीस	प्रोसेसिंग फीस (रु0में)	हैसियत (रु0में)	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (रु0में)	धरोहर धनराशि
01	(14502)-बलकुरिया	ग्रामीण	170000	20000	170000	17000	17000
02	( 15634 )-बनकटा	ग्रामीण	3660000	20000	3660000	366000	366000
03	( 15937 )-खोडा	ग्रामीण	980000	20000	980000	98000	98000
04	( 16024 )-डिबनी	ग्रामीण	4200000	20000	4200000	420000	420000
05	(16041)-सेवरही चनरी चौराहा	ग्रामीण	2350000	20000	2350000	235000	235000

**बीयर दुकान:-**

क्रमांक	दुकान का नाम	प्रस्थिति	वर्ष 2020-21 का निर्धारित लाइसेंस फीस	प्रोसेसिंग फीस (रु0में)	हैसियत (रु0में)	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (रु0में)	धरोहर धनराशि
01	(15067)-मिश्रौली बरकटी नहर मार्ग	ग्रामीण	115000	20000	115000	11500	11500
02	(15829)-दुबौली	ग्रामीण	100000	20000	100000	10000	10000

**भांग की दुकान:-**

क्रमांक	दुकान का नाम	प्रस्थिति	वर्ष 2020-21 का निर्धारित लाइसेंस फीस (रु0में)	एम0जी0 व्यू (कि0घा0में)	प्रोसेसिंग फीस (रु0में)	हैसियत (रु0में)	प्रतिभूति धनराशि (रु0में)	धरोहर धनराशि
01	(60183)-कुबेरस्थान	ग्रामीण	15000	14	6000	15000	2547	1500
02	(60932)-खिरकिया	ग्रामीण	20000	14	6000	20000	3380	2000
03	(61024)-कठकुहिया	ग्रामीण	10000	14	6000	10000	1713	1000
04	(61072)-जोकवा	ग्रामीण	10000	14	6000	10000	1713	1000
05	(61084)-फाजिलनगर	नगर पंचायत	30000	10	6000	30000	5033	3000
06	(61224)-सुकरोली	नगर पंचायत	25000	12	6000	25000	4207	2500
07	(61250)-दुदही	नगर पंचायत	25000	14	6000	25000	4213	2500
08	(61268)-तमकुहीराज	नगर पंचायत	10000	12	6000	10000	1707	1000

उल्लिखित आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन निम्नानुसार समय सारणी के अन्तर्गत किया जायेगा:-

क्रमांक	विवरण	तिथि/अवधि
01	ई-लाटरी हेतु आवेदन प्रारम्भ	03.03.2020 पूर्वाह्न 10:00 बजे से
02	ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	11.03.2020 मध्याह्न 12:00 बजे तक
03	ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	11.03.2020 को मध्याह्न 12:00 बजे से 12.03.2020 को सायं 05:00 बजे तक
04	ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	16.03.2020 को प्रातः 11:00 बजे से समाप्ति तक, स्थान कलेक्ट्रेट सभागार कुशीनगर।
05	प्रथम चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अन्तिम तिथि	19.03.2020 को समय सायं 5:00 बजे तक।

नोट:- 1- वर्ष 2020-21 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण दिया जाना अनिवार्य है। दिनांक 01.01.2019 के पश्चात् निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

02- आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है।


03- आवेदकों को धरोहर धनराशि के समतुल्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर के पक्ष में देय हो कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर में जमा करना अनिवार्य होगा।

04- वर्ष 2020-21 में लाटरी में किसी आवेदक को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेगी। यदि किसी आवेदक द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप को मिलाकर दो या दो से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा


लिया गया है, तो वह अवशेष रिक्त दुकानों के चयन हेतु ई-लाटरी प्रक्रिया में अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

05- किसी आवेदक द्वारा एक दुकान पर मात्र एक आवेदन ही मान्य होगा।

उक्त के अतिरिक्त दुकानवार विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।


  
(राजवीर सिंह)  
01/03/2020

जिला आबकारी अधिकारी,  
कुशीनगर।

  
(भूपेन्द्र/एस. चौधरी)  
जिलाधिकारी,  
कुशीनगर।

संख्या 2835/तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कुशीनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
जिला आबकारी अधिकारी,  
कुशीनगर।  
01/03/2020